संख्या-17/2025/2249/सैंतीस-2-2024/002-1(15)/2023

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-29 जनवरी, 2025

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजनान्तर्गत पूंजीगत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3057/सा0-2/27/869, दिनांक-24.10.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Maruti Suzuki DZIRE ZXI माडल के 02 वाहनों का जेम पोर्टल पर अनुमोदित दरों पर क्रय किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-106-अन्य पशुधन विकास-07-जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0-15.48 लाख (रूपये पन्द्रह लाख अड़तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा प्रश्नगत वाहनों का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था तथा परिवहन विभाग द्वारा वाहन क्रय हेतु निर्गत संगत शासनादेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा मितव्ययिता के दृष्टिगत वाहन की नितान्त आवश्यकता/अपरिहार्यता होने पर ही वाहन का क्रय किया जायेगा।
4. प्रश्नगत क्रय वाहन की उपयोगिता, गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय किये जाने वाले वाहनों का उपयोग/संचालन जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना (रा.यो.) की गाइडलाईन्स के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,48,000 (रुपये पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 4403001060700 जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना **मानक मद** 14 मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या–E-1-280-X-2024-25, दिनाँक-25.01.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-17/2025/2249(1)/सैंतीस-2-2024/002-1(15)/2023, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।